सहायक कलक्टर न्यायालय, सिवाना

पीठासीन अधिकारी, श्री अन्जुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–67/2017

प्रार्थीनी :–

1. मोहनीकंवर पत्नी हिम्मतसिंह जाति चारण निवासी सरवडी चारणान् हाल सिवाना तहसील सिवाना

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. श्रीमान् तहसीलदारजी सिवाना
2. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री कपिल श्रीमाली ।

–: आदेश :–

दिनांक – 26.02.2018

प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 01.16 बीघा सरहद मौजा उमसर व खेत खसरा संख्या 491 रकबा 1.18 बीघा सरहद मौजा गूगरोट तहसील सिवाना में आया हुआ है। माफिक खातेदारी के उपरोक्त खसरान की भूमि पर प्रार्थीनी बतौर खातेदार की काबिज काश्त है। छाया प्रति खतौनी प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश है, वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 462 के पश्चिमी माठ व वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 491 के पूवी माठ के बीच राजस्व कटाण मार्ग सिवाना से सुखलेश्वर जाने वाला रास्ता स्थित है,जो दोनो माठो के बीच मे से होकर मौके पर निकलता है तथा उपरोक्त कटाण मार्ग राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 290 के जरिये दर्ज है जिसके मौकी की स्थिति को और सुस्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' पेश है जो नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रार्थना पत्र का अंग शुमार है। जिसमें बरंग लाल से कटाण मार्ग दर्शाया हुआ है। नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित बरंग लाल कटाण मार्ग सिवाना से सुखलेश्वर महादेव जाने वाला कटाण मार्ग है,जिसे सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत डामरीकरण करने की स्वीकृति जारी की गई है तथा निर्माण कार्य करने हेतु राशि स्वीकृति की जाकर निर्माण कार्य करने के आदेश जारी किये है। उपरोक्त कटाण

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

मार्ग बरंग लाल प्रार्थीनी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 462 की पूर्वी माठ के किनारे किनारे लोगो की सुविधा अनुसार चल रहा था तथा उपरोक्त रास्ता आज भी मौके पर खुला पडा है ,मगर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सडक निर्माण कार्य स्वीकृत करवाये जाने पर विप्रार्थीगण द्वारा माफिक राजस्व रेकर्ड के मौके पर निर्माण कार्य करवाना प्रारम्भ करवाया,तब प्रार्थीनी ने विप्रार्थीगण से निवेदन किया कि पूर्व में माफिक रेकर्ड रास्ता नहीं होने से नया निर्माण कार्य करवाया जाने से पूर्व मौके पर प्रार्थीनी की उपस्थिति में पैमाईश करवाई जावे। मगर उस वक्त प्रार्थीनी के निवेदन को विप्रार्थीगण द्वारा दरकिनार करने पर प्रार्थीनी द्वारा श्रीमन उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष आवेदन पेश कर निवेदन किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड के पैमाईश कर सडक निर्माण करवाई जावे जिससे प्रार्थीनी के खातेदारी खेत की भूमि नष्ट न हो,जिससे श्रीमान् तहसीलदारजी सिवाना व सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. को निर्देश देकर मौके पर पैमाईश करने के उपरान्त सडक निर्माण कार्य करने का आदेश दिया। जिस पर तहसीलदार कार्यालय के राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीनी को बिना सूचना दिये मन मुताबिक पैमाईश कर मात्र कागजी खानपूर्ति कर पैमाईश प्रार्थीनी की अनुपस्थिति मे तैयार की गई व मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करनवाने की गरज से निर्माण सामग्री मौके पर डलवाई जाने लगी, साथ ही प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 491 की उतरी पूर्वी माठ की करीब एक माह पूर्व तोड फोड कर प्रार्थीनी की गैर मौजदूगी में वहां खडे पेडो व उसके द्वारा की गई तारबन्दी को गिरा दिया, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण से दिनांक 04.07.2017 को मिलकर प्रार्थीनी की अनुपस्थिति में बिना किसी पैमाईश के तोड फोड करने व मौके पर करवाये जा रहे सडक निर्माण कार्य को रोकने का निवेदन किया ,तब विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा पुनः प्रार्थीनी को बुलाया जाकर पैमाईश करवाई जायेगी व निर्माण कार्य माफिक राजस्व रेकर्ड करवाया जायेगा मगर इसके बावजूद भी विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी को दिये गये आवश्वासन के विपरित मौके पर बिना कोई पैमाईश के राजस्व रेकर्ड में दर्ज कटाण मार्ग से हटकर अन्य स्थान परिशिष्ट 'अ' में वर्णित बरंग हरा स्थान पर निर्माण कार्य करवाया जाना आरम्भ कर दिया है। विप्रार्थीगण का उक्त कृत्य अवैध व गैरकानूनी है। इस बाबत प्रार्थीनी द्वार रजिस्टर्ड नोटिस के तहत आगाह भी किया है एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उक्त अवैध सडक निर्माण कार्य को रोकने का निवेदन भी किया,मगर विप्रार्थीगण हठधर्मिता पूर्वक मौके पर बिना कोई पैमाईश किये निर्माण कार्य करवा रहे है, यदि इस कदर विप्राार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया तो मौके पर सडक निर्माण राजस्व रेकर्ड से हटकर अन्य जगह होने से प्रार्थीनी के खातेदारी खेत की भूमि मे से दो रास्ते गुजरने से व अपनी काश्त की खातेदारी भूमि से भी कम काश्म की खातेदारी भूमि पर काश्त

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
S.D.O. सिवाना

करने को मजबूर होगी जिससे प्रार्थीनी को अपार क्षति होगी तथा प्रार्थीनी अपने खातेदारी हको से महरूम हो जायेगी,जिसका मूल्यांकन नगदी में करना संभव नहीं है। जिस कारण विप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्य के रोकेन हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को तलब होती नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थीनी वकील उपस्थित विप्रार्थीगण की ओर से सीमाज्ञान की रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की गई ।

प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता की बहस की जाकर निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 01.16 बीघा सरहद मौजा उमसर व खेत खसरा संख्या 491 रकबा 1.18 बीघा सरहद मौजा गूगरोट में प्रार्थीनी के खातेदारी के आये हुये है उक्त खसरा के मध्य से होकर कटाण मार्ग चल रहा उक्त कटाण मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत डामरीकरण हो रहा है जो निर्माण काय्र हमे बिना सूचना दिये बिना पैमाईश करवाये मौके पर अवैध व अनुचित तरीके से हो रहा है जिसको तत्काल रूकवा कर मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे व माठ पर खडे वृक्षो की नही काटे माठो को नहीं तोडे प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विप्रार्थीगण की ओर से सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त प्रकरण में कटाण मार्ग खसरा संख्या 290 के दोनो तरफ प्रार्थीया के खातेदारी के खेत आये हुये है तथा प्रार्थीनी जानबूझकर प्रकरण लम्बा कर उक्त सरकारी सडक मार्ग में रोडा अटका रही है। पूर्व में प्रार्थीनी को एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कर सीमाज्ञान प्रार्थीनी की उपस्थिति में करने का आदेश पारित किया जिस पर विप्रार्थी संख्या 1 के अधीनस्थ द्वारा मौके पर जाकर सीमाज्ञान भी किया गया लेकिन प्रार्थीनी द्वारा उक्त सीमाज्ञान को नही मानकर असहमति जाहिर कर सेटलमेन्ट से सीमाज्ञान करने को कहा जिस पर राजस्व कर्मचारियो द्वारा सेटलमेन्ट शीट उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थीनी को कहा तो प्रार्थीनी ने सेटलमेन्ट शीट/मीमो ट्रेस पेश नही कर मात्र प्रकरण को लम्बा कर रही है तथा साथ ही प्रार्थीनी मौके पर निर्माण काय्र भी न ही होने दे रही है जबकि सडक निर्माण कार्य कटाण मार्ग पर ही हो रहा है जो पूर्व में हुई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.05.17 से स्पष्ट है विप्रार्थी सा.नि.वि. द्वारा उक्त रिपोर्ट के अनुसार किये गये निशानत पर ही सडक निर्माण कार्य कर रहा है। उक्त सीमाज्ञान विप्रार्थीगण व अन्य ग्रामीणो की उपस्थिति में कराई गई जिस रिपोर्ट से न्यायालय पूर्णतया सन्तुष्ट है प्रार्थीनी मात्र कटाण मार्ग पर हो रहे सरकारी सडक मार्ग को रूकवाकर अपने अहम की तुष्टी कर रही है जहां तक कटाण मार्ग का प्रश्न है उसका दायित्व सरकार का है तथा प्रार्थीनी से कटाण मार्ग के सम्बन्ध में कोई हक अधिकार नही है अर्थात सडक निर्माण मार्ग खसरा

(S.D.O.) सिवाना
SDO सिवाना

संख्या 290 पर ही हो रहा है यह निर्विदित है जो सीमाज्ञान रिपोर्ट में पूर्णतया प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टिया प्रकरण प्रार्थीनी के विपरित व विप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

जहां तक सुविधा का सन्तुलन व क्षति का सिद्वान्त का प्रश्न है वह भी विप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि उक्त सडक निर्माण खसरा संख्या 290 कटाण मार्ग परहो रहा है एवम उक्त कटाण मार्ग के दोनो तरफ प्रार्थीनी के खातेदारी के खेत है तो प्रार्थीनी को क्षति का प्रश्न ही नही उठता उक्त सडक मार्ग निर्माण बिना किसी कारण के रूका हुआ है जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है व आम जन का असुविधा हो रही है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीनी के विपरित होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 26.02.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना